

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर
आदेश

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5112/2017

आदेश दिनांक 14 सितम्बर , 2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री सुरेन्द्र कुमार अधिवक्ता- अपीलार्थिया की ओर से
श्री विपुल जैन अधिवक्ता- प्रत्यर्थी की ओर से
पक्षकारान् व्यक्तिशः उपस्थित

--

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.09.2018 के अनुसरण में पक्षकार दिनांक 05.09.2018 को साथ साथ प्रत्यर्थी के घर चले गये थे और आज दोनों पक्ष उपस्थित आये हैं।

प्रत्यर्थी-पति ने निवेदन किया है कि उनकी पुत्री निकिता अपीलार्थिया के साथ नहीं आयी थी और उन्हें अपनी पुत्री को देखे हुए सात वर्ष हो चुके हैं, अतः उसे भी भिजवाया जावे। उन्होंने निवेदन किया है कि इस दस दिवस की अवधि में उनके आपस में शारीरिक सम्बन्ध नहीं बने हैं और अपीलार्थिया अपने पीहर ही मोबाइल पर बातें करती रही है, ज्यादातर समय उसने मोबाइल पर व्यतीत किया है लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थिया ने घर का काम किया था।

अपीलार्थिया ने निवेदन किया है कि अभी पुत्री निकिता की परीक्षा दिनांक 20.09.2018 से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले निकिता उनके साथ रह लेगी, उसमें अपीलार्थिया को कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलार्थिया के पिता श्री राजवीर सिंह भी आज उपस्थित हैं। उन्होंने भी निवेदन किया है कि अपीलार्थिया व प्रत्यर्थी को आज वे अपने साथ घर ले जायेंगे और निकिता को उनसे मिलवायेंगे और उनके साथ ही निकिता को भिजवा देंगे और उनको सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार घर से विदा करेंगे, जिसमें प्रत्यर्थी भी सहमत हैं।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने भी निवेदन किया है कि अभी इस प्रकरण को लम्बित रखा जावे। अपीलार्थिया ने इस न्यायालय को आश्वस्त किया कि वे अब मोबाइल का उपयोग नहीं करेगी और अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों

का दिल जितने का प्रयास करेगी।

प्रत्यर्थी ने भी आश्चस्त किया है कि वे पुरानी बातों को लेकर कोई विवाद नहीं करेंगे।

तदनुसार दोनों पक्ष साथ साथ रहने के लिए तैयार हैं।

दोनों पक्ष इस बात के लिए भी सहमत हैं कि प्रत्यर्थी उसके पदस्थापन के स्थान पर जहाँ पारिवारिक निवास मिला हुआ है और प्रत्यर्थी सुविधा अनुसार अपीलार्थिया को उसके पदस्थापन स्थान पर अपनी पुत्री के साथ ले जाने के लिए तैयार है।

प्रार्थनानुसार पत्रावली दिनांक 12.11.2018 को पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा)

अनिलशर्मा/M-56



सत्यमेव जयते